सत्यमेव जयते

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(*A Statutory Authority Created by an Act of Parliament***)**
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लैक्स, डी पी एस मार्ग,निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village,New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

एफ.सं. पीपीवी और एफआरए/विधि/02/2019

दिनांक: 05.04 .2022

सार्वजनिक नोटिस

(2022 का 4)

विषय: - पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत जीनस या स्पसीज की विद्यमान किस्म जिनका पंजीकरण मौजूदा किस्मों के लिए सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

इच्छुक पार्टियां ध्यान दें कि पीपीवीएफआरए (2001) की धारा 29 (2) के अंतर्गत पौधों की प्रजातियों की राजपत्र अधिसूचना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संबंधित प्रजातियों से संबंधित नई किस्मों को पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। मौजूदा पौधों की किस्में (विद्यमान किस्में) पहले से ही व्यापार में हैं या प्रजनन के लिए उपयोग/समुपयोजन के तहत, प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने से कम से कम एक वर्ष पहले, भले ही संबंधित प्रजातियों को पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया हो। पीपीवीएफआर अधिनियम (2001) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र है, इसलिए, जो कृषक और पादप प्रजनक ऐसे पौधों की प्रजातियों की ऐसी मौजूदा किस्मों को पंजीकृत करने के इच्छुक हैं, उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे वानस्पतिक प्रजातियों पर प्रस्तावित उम्मीदवार की मौजूदा किस्म श्रेणी (किस्मा के बारे में कृषकों को सामान्य् ज्ञान हो अथवा कृषक किस्मद)] उत्पत्ति का स्रोत (भारत या विदेश), प्रवर्धन की विधि, व्यक्तिगत और साथ ही विविधता की आबादी पर आनुवंशिक रूप से विरासत में मिले रूपात्मक लक्षणों को अलग करने के उपलब्ध विवरण (जैसा कि पादप प्रजनक के द्वारा दर्ज किया गया है) गुण चरित्र के भीतर भिन्नताओं को दर्ज करने की पद्धति के साथ, भारत में उपलब्ध उदाहरण/संदर्भ किस्मों के नाम के साथ-साथ उम्मीदवार किस्म, उपयुक्त क्षेत्रों और सार्वजनिक संस्थानों से डीयूएस परीक्षण आदि के संचालन के लिए

परीक्षणों में इष्ट्तम शस्यत विज्ञानी अभिव्यनक्ति के लिए उपयुक्त ता उत्पा दन की स्थिति मौजूद किस्मा के आवेदन की उचित जांच के लिए विस्तृोत जानकारी देते हुए ई-मेल tk.nagarathna@gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए से संपर्क करें।

विद्यमान पादप किस्म के आवेदक द्वारा प्रदान किए गए विवरण की जांच करने के बाद, रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि इस तरह के आवेदन पर पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है अथवा नहीं और विधि के अनुसार उचित कदम उठाएगा। कृषकों अथवा कृषकों के समुदायों को अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते है, जैसा कि 2020 की सार्वजनिक सूचना 12 में स्प ष्ट् किया है।

-हस्ताक्षरित-
(टीके नागरत्ना)
पंजीकार